

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,  
(मानद विश्वविद्यालय)  
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002

फर्म का नाम: .....

पता: .....

.....

निविदा प्रपत्र

1. विषय : निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिये दिया जा रहा है

उसका नाम : Rate Contract for Supply of Fruits and Vegetables

2. निविदादाता का पूरा नाम एवं पता : .....

.....

.....

3. प्रेषित अधिकारी/कार्यालय का नाम : कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर।

4. धरोहर राशि ..... रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर .....

दिनांक ..... Vice Chancellor National Institute of Ayurveda, Jaipur के नाम

बनाकर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में जमा करा दिया गया है ।

5. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं और इससे बाध्य रहेंगे ।

स्थान:

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर

(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)

## राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

(मानद विश्वविद्यालय)

भारत सरकार द्वारा संस्थापित)

माधव विलास पैलेस, आमेर रोड,

जयपुर-302002 (राजस्थान)

निविदा शर्तें

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, (मानद विश्वविद्यालय) जयपुर, भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के अधीन है जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाये जाने एवं उसका विकास करने के लिए विशिष्ट योग्यताधारी अध्यापकों, वैद्यों के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन-अध्यापन, शोध कार्य करवाये जाने के साथ आयुर्वेद पद्धति से बिमारियों का ईलाज करता है, अतः संस्थान चिकित्सालय में भर्ती मरीजों एवं रसायन शाला हेतु संलग्न सूची के अनुसार फल व सब्जी सप्लाई करने हेतु **Rate Contract For Supply of Fruits and Vegetables** के लिए बाजार में कार्यरत फर्मों से सम्पूर्ण विवरण सहित ई-निविदा आमंत्रित करता है। ई-निविदा सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं संस्थान की वेबसाईट [www.nia.nic.in](http://www.nia.nic.in) से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर भरा जावेगा।

क्र.सं.	कॉन्ट्रैक्ट का नाम	निविदा अनुमानित लागत	धरोहर राशि
1	Rate Contract for Supply of Fruits and Vegetables	20,00,000/-	40,000/-

1. निविदादाताओं द्वारा सी.पी.पी. पोर्टल पर निविदा निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेगी -

क्र. सं.	विवरण	तिथि एवं समय
1.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर भरने की प्रारंभ तिथि एवं समय ( <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> )	29-08-2023 03:00 PM
2.	प्री-बिड मीटिंग की तिथि एवं समय स्थान:- सेमीनार हॉल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	04-08-2023 03:00 PM
3.	निविदा ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि एवं समय ( <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> )	19-09-2023 03:00 PM
4.	धरोहर राशि का डी.डी. संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि	19-09-2023 03:00 PM
5.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	20-09-2023 03:00 PM

- निविदादाता को धरोहर राशि 40,000/- का बैंक ड्राफ्ट **National Institute of Ayurveda (Payable at Jaipur)** के नाम बना कर संस्थान में प्रेषित करना अनिवार्य होगा, बैंक व एफ.डी.आर. मान्य नहीं होगी तथा अपर्याप्त धरोहर राशि के अभाव में प्रारम्भिक रूप से ही निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- MSE/Startup निविदादाता फर्मों को वैध दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर MSE/Startup के प्रावधानों का पालन किया जायेगा। निविदा दस्तावेज सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं संस्थान की वेबसाईट [www.nia.nic.in](http://www.nia.nic.in) से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर निविदा भरी जायेगी तथा निविदा भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 19-09-2023 को 03:00 PM बजे तक रहेगी ।
- निविदा की Pre-Bid Meeting इच्छुक/संभावित निविदादाताओं के साथ संस्थान में दिनांक 04.09.2023 को 3:00 PM बजे रखी जायेगी। सभी इच्छुक/संभावित निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे Pre-Bid Meeting से पहले या उसके 24 घंटे के भीतर लिखित में अपने सुझाव या प्रतिवेदन, अगर कोई हो तो संस्थान की Email ID: [nia.centralstore7@gmail.com](mailto:nia.centralstore7@gmail.com) या [store-nia-rj@gov.in](mailto:store-nia-rj@gov.in) पर भेजें ।
- निविदा की फाईनेन्सियल एवं टेक्नीकल बिड पृथक्-पृथक् होगी। फाईनेन्सियल बिड में आमंत्रित की गई निविदा की दरें होगी जो **CPP Portal** पर **Online** भरी जायेगी तथा टेक्नीकल बिड में निविदा में चाहे गये वांछित दस्तावेज होंगे जो ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे।

6. निविदादाता द्वारा दरें निर्धारित **BOQ** में अंकों में **Online CPP Portal** पर भरनी होगी । निविदा में दरें डेसीमल में मान्य नहीं होगी।
7. निविदादाता द्वारा टेक्नीकल बिड में विगत तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर (निविदा मूल्य का 50 प्रतिशत) सी.ए. से सत्यापित/आईटीआईआर व सरकारी कार्यालयों/प्राइवेट संस्थान, फर्म इत्यादि द्वारा जारी वर्कआर्डर की फोटोप्रति, जीएसटी रजिस्ट्रेशन/जीएसटी रिटर्न की प्रतिलिपियां, फर्म का पेन कार्ड की फोटो प्रति, फर्म के ब्लेकलिस्टेड ना होने का लेटरहेड पर प्रमाण-पत्र या 100/-रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टॉप पेपर पर शपथ पत्र इत्यादि से सम्बन्धित सभी दस्तावेज सीपीपी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
8. निविदादाता द्वारा दरें निर्धारित **BOQ** में **Online** अंकों एवं शब्दों में **Online CPP Portal** पर भरनी होगी । निविदा में दरें डेसीमल में मान्य नहीं होगी तथा अंकों एवं शब्दों में लिखी दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में लिखी दरें मान्य होगी।
9. फल-सब्जी निविदा की दरें संस्थान द्वारा दिये गये माहवार विवरण के अनुसार प्रस्तुत करें अन्यथा दरें मान्य नहीं होगी।
10. प्राप्त निविदा की पहले टेक्नीकल बिड संस्थान क्रय समिति के समक्ष दिनांक 20.09.2023 को 3:00 PM बजे खोली जावेगी। टेक्नीकल बिड में सफल निविदादाताओं की ही फाईनेन्सियल बिड खोली जावेगी तथा असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
11. फाईनेन्सियल बिड में सफल निविदादाताओं द्वारा निविदा में स्वीकृत दर के मूल्य का 5 प्रतिशत सिक्यूरिटी राशि का डी.डी. कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम से जमा करवाना अनिवार्य होगा एवं 500/-के नॉनज्यूडिसियल स्टैम्प पैपर पर निविदा में निर्धारित अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा उसके बाद ही रेट कॉन्ट्रैक्ट आदेश दिया जावेगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
12. सफल निविदादाताओं द्वारा आदेश में अंकित दरों के अन्तर्गत कार्य करना होगा । आदेशित कार्य न करने पर धरोहर राशि व अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. सफल निविदादाता द्वारा फल व सब्जियां सप्लाई नहीं करने पर, सप्लाई ना की गई फल-सब्जियों के मूल्य का 10 प्रतिशत नॉन सप्लाई पैन्ल्टी काटी जावेगी। और यदि उक्त फल- सब्जी संस्थान द्वारा बाजार से क्रय की जाती है तो अन्तर राशि भी निविदादाता से वसूल की जावेगी।
14. **Rate Contract** का मासिक भुगतान, संतोषप्रद रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।
15. फर्म द्वारा संतोषप्रद सप्लाई नहीं करने पर टेण्डर (निविदा) निरस्त किया जा सकता है।
16. निविदा खुलने के बाद निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें एवं शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो संस्थान को अमानत एवं सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा तथा फर्म पर जीएफआर अनुसार कार्यवाही की जावेगी। फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
17. निविदा की फाईनेन्सियल बिड खोलने पर सभी आइटमों में जिस फर्म की ऑवरआल दरें न्यूनतम होगी उसी फर्म को कार्यादेश दिया जायेगा।
18. न्यूनतम दर होने के आधार पर रेट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा। यदि न्यूनतम दर एक से अधिक फर्मों की आती है, तो ऐसी स्थिति में फर्मों का विगत तीन वर्षों का टर्नओवर, कार्य अनुभव, तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों एवं सरकारी उपक्रमों में सप्लाई करने का अनुभव जिसका अधिक एवं कार्य प्रफोरमेन्स जिसकी जितनी अच्छी होगी मूल्यांकन किया जाकर न्यूनतम दर तय की जावेगी।
19. प्राप्त निविदा को किसी भी समय, बिना सूचना के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान कुलपति महोदय को होगा ।
20. निविदा में अंकित दरें एक वर्ष के लिए मान्य होगी ।यदि फर्म का कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है तो फल-सब्जी सप्लाई के रेट कान्ट्रैक्ट का श्रीमान् कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त अधिकतम एक वर्ष या उसके किसी भाग के लिए अवधि वृद्धि की जा सकेगी तथा रेट कान्ट्रैक्ट की अवधि घटाये एवं बढ़ाने जाने का अधिकार श्रीमान कुलपति महोदय का होगा।

21. निविदा में स्वीकृत दर की प्रभावशीलता समाप्त होने एवं दिया गया आदेशित कार्य पूर्ण होने पर सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जायेगी।

22. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना कुलपति महोदय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
23. निविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं कुलपति महोदय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते।
24. निविदादाता फर्म का जयपुर में कार्यालय होना अनिवार्य होगा जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
25. यदि मात्रा में कम या गुणवत्ता में खराब फल-सब्जी की सप्लाई की जाती है तथा मात्रा की आपूर्ति नहीं की जाती है या खराब गुणवत्ता वाली फल-सब्जी बदल कर नहीं दी जाती है तो इस स्थिति में स्वीकृत दर एवं बाजार मूल्य का अंतर निविदादाता द्वारा देय होगा या निविदादाता से वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में रुपये 100/- प्रति किलोग्राम के हिसाब से पेनल्टी प्रथक से निविदादाता फर्म द्वारा देय होगी।
26. फल सब्जी प्रातः और सांय किसी भी वक्त लाने का आदेश दिया जा सकता है। अतः चिकित्सालय द्वारा निर्धारित समय पर ही उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
27. दरों के न्यून होने के आधार पर संस्थान फल एवं सब्जी क्रय करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
28. निविदादाता को समय-समय पर मांग के अनुसार निर्देशित फल एवं सब्जी निर्धारित स्थान पर (चिकित्सालय के पाकशाला में) अपने स्वयं के खर्च पर पहुंचानी होगी। इस हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
29. फर्म द्वारा संतोषप्रद कार्य/सप्लाई नहीं करने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्थान को होगा।
30. निविदा को प्रतिदिन मांगपत्र Review कर के ले जाना अनिवार्य होगा।
31. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार टी.डी.एस. राशि काटी जायेगी, जिसके लिये फर्म को निविदा के साथ पेन कार्ड अपलोड करना होगा।
32. संस्थान में पिछली अवधि में यदि किसी निविदादाता का कार्य असंतोषजनक पाया गया हो, तो उसको निविदा में शामिल नहीं किया जावेगा।
33. सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

-Sd-

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों की पालना करने हेतु बाध्य हूँ/हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान  
(मानद विश्वविद्यालय)  
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002  
फल-सब्जी क्रय का माहवार विवरण निम्न प्रकार से है  
(निविदादाताओं द्वारा दरें BOQ में ही ऑनलाइन भरनी होगी)

क्र.सं.	नाम फल एवं सब्जी	नवम्बर से फरवरी	मार्च से जून	जुलाई से अक्टूबर
<b>फल</b>				
1.	अनार	अनार	-	अनार
2.	अमरूद	अमरूद	-	-
3.	सेब	सेब	-	सेब
4.	संतरा	संतरा	-	-
5.	किन्नु	किन्नु	-	-
6.	अंगूर	अंगूर	-	-
7.	सीताफल	सीताफल	-	-
8.	कीवी	कीवी	कीवी	कीवी
9.	स्ट्रोबरी	स्ट्रोबरी	स्ट्रोबरी	स्ट्रोबरी
10.	तरबूज		तरबूज	-
11.	पपीता	पपीता	पपीता	पपीता
12.	आम दशहरी	-	आम दशहरी	आम दशहरी
13.	आम लंगडा	आम लंगडा	आम लंगडा	आम लंगडा
14.	जामून	-	जामून	-
15.	लीची	-	लीची	-
16.	नाशापती	-	-	नाशापती
17.	खरबूजा	-	खरबूजा	-
18.	आलूबुखारा	आलूबुखारा	-	आलूबुखारा
19.	चीकू	-	चीकू	चीकू
20.	बाबू गोसा (नाग)	बाबू गोसा (नाग)	-	-
<b>सब्जियाँ</b>				
1.	पत्तागोभी	पत्तागोभी	पत्तागोभी	पत्तागोभी
2.	फूलगोभी	फूलगोभी	-	-
3.	गाजर	गाजर	-	-
4.	पालक	पालक	-	-
5.	मूली	मूली	-	-
6.	मेथी	मेथी	-	-
7.	बथुआ	बथुआ	-	-
8.	हरी सरसों	हरी सरसों	-	-
9.	आँवला	आँवला	आँवला	आँवला
10.	कद्दू	कद्दू	कद्दू	कद्दू
11.	हरी ककडी	हरी ककडी	-	-

12.	टिण्डा	-	टिण्डा	टिण्डा
13.	लौकी	लौकी	लौकी	लौकी
14.	गिलगल तुरई	-	गिलगल तुरई	गिलगल तुरई
15.	तुरई	-	तुरई	तुरई
16.	हरी पत्तेदार प्याज	हरी पत्तेदार प्याज	-	-
17.	करेला	करेला	करेला	करेला
18.	परवल	परवल	परवल	परवल
19.	ककोडा	-	-	ककोडा
20.	शिमला मिर्च (पीली)	शिमला मिर्च (पीली)	शिमला मिर्च (पीली)	शिमला मिर्च (पीली)
21.	शिमला मिर्च (हरी)	शिमला मिर्च (हरी)	शिमला मिर्च (हरी)	शिमला मिर्च (हरी)
22.	शिमला मिर्च (लाल)	शिमला मिर्च (लाल)	शिमला मिर्च (लाल)	शिमला मिर्च (लाल)
23.	बीन्स	बीन्स		बीन्स
24.	ग्वारपाठा	ग्वारपाठा	ग्वारपाठा	ग्वारपाठा
25.	हरा धनिया	हरा धनिया	हरा धनिया	हरा धनिया
26.	हरी मिर्च	हरी मिर्च	हरी मिर्च	हरी मिर्च
27.	कच्ची हल्दी	कच्ची हल्दी	-	-
28.	कडी पत्ता	कडी पत्ता	कडी पत्ता	कडी पत्ता
29.	अदरक	अदरक	अदरक	अदरक
30.	पुदीना	पुदीना	-	पुदीना
31.	निम्बू	निम्बू	निम्बू	निम्बू
32.	शलगम	शलगम	-	-
33.	शक्करकंद	शक्करकंद	-	-
34.	चौलाई	चौलाई	-	-
35.	सेमफली	सेमफली	-	सेमफली
36.	ग्वारफली	-	ग्वारफली	-
37.	भिण्डी	-	भिण्डी	-
38.	आलू	आलू	आलू	आलू
39.	टमाटर	टमाटर	टमाटर	टमाटर
40.	प्याज	प्याज	प्याज	प्याज
41.	मटर	मटर	-	-
42.	बैगन	बैगन	बैगन	बैगन
43.	हरा लहसून	हरा लहसून	-	-

निविदादाता के हस्ताक्षर

## अनुबन्ध-पत्र

1. यह करार आज दिनांक -----जो कि अनुमोदित वितरक कहलायेगा तथा जहाँ पर इस प्रकार का प्रसंग आवेगा इसमें उसका उत्तराधिकारी निष्पादन एवं प्रशासक भी शामिल होगा एवं दुसरी ओर से कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जिसका की अर्थ प्रसंग आने पर कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी से होगा, के बीच सम्पन्न किया गया।
2. चूँकि अनुमोदित वितरक कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर पर आदेशित गाडियाँ उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। अतः इसके संलग्न अनुसूची में फल-सब्जियाँ डाल दी गयी है तथा इसकी दरों का उल्लेख अनुसूची के कॉलम 4 में किया गया है।
3. चूँकि अनुमोदित वितरक ने रूपये-----डी.डी संख्या-----दिनांक ----- अनुबन्ध के उचित परिपालन के प्रयोजन के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा कर दिये है।
4. वे साक्षियाँ प्रस्तुत करते है कि :-
  - a. एतद् संलग्न अनुसूची में दी गई दरों पर कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के जरिये किये जाने वाले भुगतानों को ध्यान में रखते हुये अनुमोदित वितरक निविदा एवं संविदा की शर्तों में व दिये गये तरीकों के अनुसार संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 व 3 में वर्णित फल फल-सब्जियाँ की कॉलम संख्या 5 में दी गई अवधि में उपलब्ध करायेगा।
  - b. निविदा विज्ञापन संख्या ----- दिनांक ----- के साथ तथा अनुबन्ध के साथ भी संलग्न निविदा एवं संविदा की शर्तों को इस अनुबन्ध के एक भाग के रूप में समझा जावेगा, जो इस अनुबन्ध को करने वाले पक्ष द्वारा मान्य होगा।
  - c. निविदा दाता से प्राप्त पत्र, और संस्थान द्वारा जारी पत्र ----- दिनांक ----- जो इस अनुबन्ध के साथ संलग्न है इस अनुबन्ध पत्र के अंश होंगे।
  - d. संस्थान एतद् द्वारा इस बात पर सहमत होता है कि अनुमोदित वितरक उक्त तरीके से उपयुक्त फल-सब्जियाँ उपलब्ध करायेगा। तथा उक्त शर्तों को ध्यान में रखेगा एवं उनका पालन करेगा तो संस्थान अनुमोदित वितरक को प्रत्येक उपलब्ध करायी गयी फल-सब्जियाँ की देय राशि का उक्त शर्तों में दिये समय पर एवं उसमें बताये गये ढंग से कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के माध्यम से भुगतान करेगा अथवा करायेगा।
5. भुगतान पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन सेवा) के माध्यम से होगा।
6. फल-सब्जियाँ निविदा शर्तों के अनुसार उपलब्ध करानी होगी।
7. सफल निविदादाता द्वारा फल व सब्जियाँ सप्लाई नहीं करने पर, सप्लाई ना की गई फल-सब्जियों के मूल्य का 10 प्रतिशत नॉन सप्लाई पैनल्टी काटी जावेगी। और यदि उक्त फल- सब्जी संस्थान द्वारा बाजार से क्रय की जाती है तो अन्तर राशी भी निविदादाता से वसूल की जावेगी।
8. फल-सब्जी की सप्लाई चिकित्सालय मांग के अनुसार करनी होगी तथा फल-सब्जी की गुणवत्ता सही होनी चाहिए, एकदम ताजी होनी चाहिये और फंगस, सड़ी गली और कीड़े लगी नहीं होनी चाहिये, अगर फल-सब्जी की गुणवत्ता सही नहीं हुई या उसमें कोई कमी हुई तो उसी वक्त सफल निविदादाता को तुरन्त बदलकर देनी होगी, अन्यथा रूपये 500/- प्रति आईटम प्रति खराब गुणवत्ता वाली आपूर्ति पर वसूली की जावेगी।
9. अनुबन्ध से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद एवं अनुबन्ध निवर्तन से सम्बन्धित सभी प्रश्न कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा तय किये जावेगे एवं उसमें कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। उक्त साक्षी में पाटियों द्वारा दिनांक ----- को अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

अनुमोदित वितरक के हस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

दिनांक -----

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 1

साक्षी संख्या 2

साक्षी संख्या 2

## अनुसूची

क्र.सं.	फल-सब्जियाँ	मात्रा	अनुमोदित दर	आपूर्ति अवधि
1.	2.	3.	4.	5.